संख्या-182/2026/I/1327171/2026/23-11099(099)/61/2026

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 13-05-2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्यो के सापेक्ष धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-20648/CE-HQ1/RY(MDOD)/VNS/2026-27, दिनांक 23-04-2026, पत्र संख्या-20725/CE-HQ1/RY(MDOD)/MBD/2026-27, दिनांक 24-04-2026, पत्र संख्या-20741/CE-HQ1/RY(MDOD)/SAH/2026-27, दिनांक 24-04-2026, पत्र संख्या-20758/CE-HQ1/RY(MDOD)/ADY/2026-27, दिनांक 27-04-2026, पत्र संख्या-20761/CE-HQ1/RY(MDOD)/VNS/2026-27, दिनांक 27-04-2026, पत्र संख्या-20762/CE-HQ1/RY(MDOD)/PRJ/2026-27, दिनांक 27-04-2026, पत्र संख्या-20769/CE-HQ1/RY(MDOD)/BAN/2026-27, दिनांक 27-04-2026, पत्र संख्या-20776/CE-HQ1/RY(MDOD)/LKO/2026-27, दिनांक 27-04-2026, पत्र संख्या-20849/CE-HQ1/RY(MDOD)/GON/2026-27, दिनांक 28-04-2026, पत्र संख्या-20853/CE-HQ1/RY(MDOD)/AGR/2026-27, दिनांक 28-04-2026, पत्र संख्या-20909/CE-HQ1/RY (MDOD)/VNS/2026-27, दिनांक 29-04-2026, पत्र संख्या-20920/CE-HQ1/RY(MDOD)/JHA/2026-27, दिनांक 29-04-2026 एवं पत्र संख्या-20961/CE-HQ1/RY(MDOD)/ADY/2026-27, दिनांक 29-04-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य/प्रमुख, अन्य जिला मार्गो के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत 18 चालू कार्यो पर अधोलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रू0 14536.73 लाख (रूपये एक अरब पैतालिस करोड़ छत्तीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक/ बचत/बचत उपरान्त की लागत	अब तक आवंटन	प्रस्तावित आवंटन		
					अनु0 सं0-58	अनु0 सं0-83	योग
1	गाजीपुर नि0ख0-3	जनपद गाजीपुर में कोटवा नारायणपुर लट्ठूडीह दुबिहां हरदासपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 17.400 कि0मी0)।	5305.92 5305.92 1029.69 4276.23	3686.66	295.46	79.54	375.00
2	नि0ख0-2 बिजनौर	जनपद बिजनौर में शेरकोट कांधला परमावाला हरेवली कुआंखेड़ा	1868.58 1868.58 11.14 1857.44	1600.21	129.50	34.86	164.36

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		(अ0जि0मा0) के चैनेज 14.000 से 26.000 तक (लम्बाई 12.00 कि0मी0) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।					
3	नि0ख0-2 बिजनौर	जनपद बिजनौर में बढ़ापुर छायली काशीवाला नाईवाला, कायमनगर, दोधराजपुर, धर्मुवाला, होते हुए किरतपुर नगीना हरेवली शेरकोट मार्ग के कि0मी0 28 तक मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 4.00 से 11.700 तथा चैनेज 20.100 तक 23.100 (लम्बाई 10.700 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1478.16 1478.16 12.90 1465.26	1325.68	52.25	14.07	66.32
4	बिजनौर प्रा0ख0	जनपद बिजनौर में शेरकोट हरेवली मार्ग के कोपा एहतमाली मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (लम्बाई 9.100 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1479.85 1479.85 23.32 1456.53	865.24	196.97	53.03	250.00
5	सहारनपुर नि0ख0	जनपद सहारनपुर में दिल्ली-यमनौत्री (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-709बी) से घाठेडा मुण्डींखेडी ऊमरी कलां होते हुए अम्बेहटा चांद मार्ग तक (अ0जि0मा0) का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 11.097 किमी0)	2147.24 2100.33 Nil 2100.33	966.10	118.18	31.82	150.00
6	बाराबंकी प्रा0ख0	जनपद बाराबंकी में सलेमपुर-भानमऊ-जैदपुर-सफदरगंज-बदोसरांय मार्ग (प्र0जि0मा0) (चैनेज 10.360 से 25.660 कि0मी0) (लम्बाई 15.300 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	2740.92 2740.92 310.15 2430.77	1017.08	670.31	180.45	850.76
7	वाराणसी प्रा0ख0	जनपद वाराणसी में लहरतारा से बी0एच0यू0, रविन्द्रपुरी कालोनी होते हुए विजया सिनेमा तक मार्ग (अ0जि0मा0 शहरी) के चैनेज 0.000 से 7.212 तक 04 लेन एवं चैनेज 8.212 से 9.152 तक 06 लेन (लम्बाई 9.512 कि0मी0) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	47641.06 47641.06 Nil 47641.06	22791.69	1575.80	424.20	2000.00
8	वाराणसी प्रा0ख0	जनपद वाराणसी में छित्तमपुर कि0मी0 1 से रजवाड़ी वाया णैरहरा चैनेज 0.000 से 10.615 तक (लम्बाई	3067.28 3067.28 54.82 3012.46	902.04	787.90	212.10	1000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		10.615 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।					
9	प्रतापगढ़ नि0ख0-1	जनपद प्रतापगढ़ में बिहार भदी कुंडा मार्ग से रैयापुर शीतलपुर टिकरिया बुजुर्ग जैठवारा कुंडा मार्ग वाया मीरपुर शाहजमालपुर कनावा मार्ग के अवशेष भाग (चैनेज 9.60 से 14.225) (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 4.625 कि0मी0)।	1019.89 1019.89 294.24 725.65	702.81	18.00	4.84	22.84
10	प्रतापगढ़ प्रा0ख0	जनपद प्रतापगढ़ में रतनमई से अमेठी बार्डर वाया महुली मकूनपुर लौली पोखताखाम, अमेठी बार्डर तक मार्ग (लम्बाई 19.450 कि0मी0) का कार्य।	3373.39 3373.39 895.51 2477.88	2235.83	93.10	25.06	118.16
11	चित्रकूट नि0ख0-1	जनपद चित्रकूट में मऊ पर्दवान मार्ग (लम्बाई 20.050 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	3078.75 3078.75 491.44 2587.31	910.49	713.48	192.07	905.55
12	सीतापुर नि0ख0	जनपद सीतापुर में मिश्रिख तहसील एन0एच0-330 डी से मछरेहटा मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	2612.96 2612.96 151.05 2461.91	800.54	78.79	21.21	100.00
13	बलरामपुर प्रा0ख0	जनपद बलरामपुर में कोड़री-मथुरा-चौधरीडीह मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.000 से चैनेज 16.000 तक (लम्बाई 16.000 कि0मी0) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4611.23 4399.08 504.08 3895.00	1659.72	1074.10	289.15	1363.25
14	मथुरा नि0ख0-1	जनपद मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे से वृन्दावन (पागल बाबा मंदिर) तक (अ0जि0मा0) 04 लेन मार्ग का निर्माण (लम्बाई 7.278 कि0मी0) एवं मार्ग निर्माण के संरेखण में आ रही यमुना नदी पर 02 लेन सेतु के निर्माण कार्य।	25155.03 25155.03 4718.70 20436.33	19714.51	39.40	10.60	50.00
15	चन्दौली नि0ख0	जनपद चन्दौली में एस0एच0-97 कि0मी0 39 के भभौरा नाका से मूसाखांड होते हुए शहाबगंज बार्डर तक मार्ग (अ0जि0मा0 के कि0मी0 1 से 5 तक (लम्बाई 5.000 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	856.56 856.56 162.42 694.14	167.34	94.55	25.45	120.00
16	जालौन नि0ख0-3	जनपद उरई में आटा इटौरा मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0 1 से 9 व 10 (725) तक (लम्बाई 9.725कि0मी0) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	2044.49 2044.49 258.56 1785.93	1392.96	157.58	42.42	200.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

17	अयोध्या प्रा0ख0	जनपद अयोध्या में अयोध्या बिल्लहरघाट (ए0बी0 बन्धा मार्ग) मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 13.50 कि0मी0)।	41897.68 41897.68 1334.58 40563.10	31958.60	5181.51	1394.84	6576.35
18	अयोध्या प्रा0ख0	जनपद अयोध्या में मसोधा सुचित्तागंज मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीरकण का कार्य (लम्बाई 16.100 कि0मी0)।	4538.58 4538.58 55.87 4482.71	4258.57	176.60	47.54	224.14
		योग:-			**11453.48**	**3083.25**	**14536.73**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरशः अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रू0 1,14,53,48,000 (रूपये एक अरब चौदह करोड़ तिरपन लाख अड़तालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371323 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रू0 30,83,25,000 (रूपये तीस करोड़ तिरासी लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891300 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के कार्यो हेतु मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी,उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।